[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 47/2018 -- **केंद्रीय कर**

नई दिल्ली, तारीख 10 सितंबर, 2018

सा.का.नि.___(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 34/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और भी कि ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने सा.का.नि.संख्यांक 742(अ) तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0 31/2018-केन्द्रीय कर तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 34/2018 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 36/2018 सा.का.नि. संख्यांक 801(अ) तारीख 24 अगस्त, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।